595

[2019] 10 एस. सी. आर. 595

/

कुम सी. यामिनी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2019 की सिविल अपील संख्या 6296)

/

14 अगस्त, 2019

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

न्यायपालिका:फास्ट ट्रैक कोर्ट-एडहॉक जिला न्यायाधीश-एडहॉक फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला न्यायाधीशों से नियमित संवर्ग में जिला न्यायाधीशों के पद पर चयन-एडहॉक नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता का दावा-अपीलकर्ता को 2003 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) में एक एडहॉक जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था-<आईडी1 पर, दूसरे प्रतिवादी-उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के पदों पर नियमित नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए-एफटीसी में नियुक्त एडहॉक जिला न्यायाधीशों के एक समूह ने अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की और नियमित रिक्तियों के खिलाफ अवशोषण के लिए प्रार्थना की-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी-अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय ने अवशोषण की राहत देने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि एफ.11 वीं वित्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत एफ. टी. सी. के लिए जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए की जाने वाली नियुक्तियां जिला न्यायाधीशों के नियमित रिक्त पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों की तुलना में पूरी तरह से अलग और विशिष्ट हैं-केवल इस आधार पर कि उनका चयन उसी का पालन करके किया गया था।

/

/

/

/

/

/

595 ए.

नियमित चयन के समान प्रक्रिया, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता प्रदान करने के उनके दावे पर विचार करने का कोई आधार नहीं है-जब जिला न्यायाधीशों के रिक्त नियमित पदों पर चयन करने के लिए वर्ष 2004 में जारी अधिसूचना को नियमित करने/अवशोषण और चुनौती देने के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था, तो अपीलकर्ताओं के पास प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का कोई आधार नहीं है-किसी भी स्थिति में, नियुक्ति का लाभ लेने के बाद 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के जवाब में आवेदन करने के बाद, अपीलकर्ताओं के लिए नियमों के अनुरूप आदेश में लगाई गई शर्तों पर प्रश्न उठाने के लिए खुला नहीं है-निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता को केवल एफटीसी की अध्यक्षता करने के लिए तदर्थ जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था -1, 2, 7 – एस्टोपेल।

/

/

/

अपीलों का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया**:1.** जब **11** वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों में से आंध्र प्रदेश राज्य में त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई थी**,** तो ऐसे न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्तियां करने के लिए**,** नियमों का एक अलग समूह**,** अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशेष नियम**, 2001** जारी किए गए थे।अपीलार्थी को शुरू में उक्त नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था।उक्त नियमों का नियम **1** सेवा के गठन से संबंधित है और नियम **7** में नियुक्ति के नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं।नियम **7 (1) (**बी**)** में कहा गया है कि नियम **2 (**आई**)** के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को विशेष नियमों के नियम **2** के अंतर्गत आने वाले स्थायी संवर्ग का सदस्य नहीं माना जाएगा और वह किसी अन्य नियुक्ति के लिए किसी भी तरजीही अधिकार का हकदार नहीं है।उक्त नियम केवल त्वरित न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए तदर्थ पदों पर जिला न्यायाधीशों का चयन करने के उद्देश्य से विरचित गए हैं।फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना शुरू में पांच साल की सीमित अवधि के लिए की गई थी।ये सभी चयन जो तदर्थ आधार पर किए गए थे**,** ए**.** पी**.** उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में किसी भी पद के लिए नहीं हैं।**[**पैरा **11] [604-**बी**-**ई**]** ए

/

/

/

/

2. अपीलार्थियों का यह दावा कि उन्हें नियमित संवर्ग में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया का पालन करते हुए तदर्थ जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था**,** त्वरित अदालतों के लिए जिला न्यायाधीशों के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से जिला न्यायाधीशों के स्थायी संवर्ग में उनकी वरिष्ठता पर विचार करने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।**11** वीं वित्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए की जाने वाली नियुक्तियां ए**.** पी**.** उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायाधीशों के नियमित रिक्त पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों की तुलना में पूरी तरह से अलग और विशिष्ट हैं।यदि किसी व्यक्ति को संवर्ग में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है**,** तो ऐसा व्यक्ति संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर किसी भी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है।**11** वें वित्त आयोग के अनुदान से शुरू में पांच साल के लिए स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों को कुछ राज्यों में राज्यों की सहायता से इस अवधि के बाद भी जारी रखा गया और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे फास्ट ट्रैक अदालतों को बंद कर दिया गया।केवल इस आधार पर कि उनका चयन नियमित चयन के समान प्रक्रिया का पालन करके किया गया था**,** प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता प्रदान करने के उनके दावे पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।निर्विवाद रूप से**,** अपीलार्थी को केवल फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए तदर्थ जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था।प्रारंभ में जब उन्हें किसी पद या पदों की श्रेणी में नियुक्त नहीं किया गया था**,** जो ऐसी श्रेणी में संवर्ग संख्या का हिस्सा है**,** तो अपीलार्थी संवर्ग संख्या का हिस्सा बनने वाले पदों की श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों पर किसी भी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने के लिए एक और आधार है।यद्यपि अपीलार्थी उन व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा करता है जिन्हें नियमित रूप से रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है जो संवर्ग संख्या का हिस्सा हैं**,** लेकिन उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया जाता है।इस आधार पर भी**,** अपीलार्थियों का दावा अस्वीकृत होने योग्य है।**[**पैरा **13] [605-**सी**-**एफ**;** एच**; 606-**ए**-**बी**]**

/

/

/

/

/

3. वरिष्ठता का दावा कई कारकों पर निर्भर करेगा**,** नियुक्ति की प्रकृति**,** नियम जिनके अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं और कब नियुक्तियां की जाती हैं**,** कैडर पदों पर ऐसी नियुक्तियां थीं या नहीं आदि। जब अपीलार्थियों को ए**.** पी**.** न्यायिक सेवा में किसी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था**,**

/

/

598 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

अपीलार्थी त्वरित अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं।**[**पैरा **14] [606-**ई**-**एफ**]**

वी. वेंकट प्रसाद और अन्य बनामआंध्र का उच्च न्यायालय

प्रदेश और ओआरएस। (2016) 11 एससीसी 656:[2016] 3 एससीआर

834 ; महेश चंद्र वर्मा बनाम झारखंड राज्य और

/

ओआरएस। **(2018) 7** एससीसी **270:[2018] 5** एससीआर **719-**पर निर्भर।

बृज मोहन लाल **(2)** बनाम भारत संघ और अन्य। **(2012) 6**

एससीसी 502:[2012] 5 एस. सी. आर. 305; रुद्र कुमार सैन

ओआरएस**.** वी**.**भारत संघ और अन्य। **(2000) 8** एससीसी **25:[2000] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 573;** बृज मोहन लाल **(1)** बनाम संघ

/

भारत और ओआरएस। (2002) 5 एससीसी 1:[2002] 3 एससीआर 810;

देबब्रत दास और अन्र. वी.जतिंद्र प्रसाद दास और अन्य।

(2013) 3 एससीसी **658:[2013] 2** एस**.** सी**.** आर**. 331-**लागू नहीं होता है।

/

संदर्भित निर्णय

[2012] 5 एस**.** सी**.** आर**. 305** लागू नहीं होने वाला पैरा **4 [2000] 2** अनुपूरक।एस**.** सी**.** आर**. 573** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **8 [2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 810**

अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **8 [2013] 2** एस**.** सी**.** आर**. 331** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **8 [2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 834** पर भरोसा किया गया

/

पैरा **9**

[2018] 5 एससीआर **719**

पर विश्वास किया

पैरा **16**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 6296।

/

2017 की रिट याचिका संख्या 13022 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 17.04.2017 निर्णय और आदेश से।

सह

/

2019 की सिविल अपील संख्या 6297,6298 और 6299।सुश्री कुम। सी. यामिनी (व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी)।

आर. वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, चंद्र मोहन ए., श्रीधर पोटाराजू, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री श्वेता परिहार, सुश्री जी. उशाश्री, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

599

कुम सी. यामिनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए

/

जी. एन. रेड्डी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, श्रीमती सुजाता बागड़ी, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, मनन बंसल, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, सुश्री स्वाति भारद्वाज, तन्मया अग्रवाल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर**.** सुभाष रेड्डी**,** जे**.**

1. अनुमति दी गई।

2. इन मामलों में दावा की गई राहत समान है, जैसे कि उन्हें एक साथ सुना जाता है और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जाता है।निपटान के उद्देश्य से, हम 2017 की एस. एल. पी. (सी) No.20990 से उत्पन्न दीवानी अपील में बताए गए तथ्यों का उल्लेख करते हैं।

/

3. यह दीवानी अपील दायर की गई है, जो तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश से व्यथित है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा 2017 की रिट याचिका में दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।रिट याचिका में, अपीलार्थी ने अनुच्छेद संख्या पर सवाल उठाया है।5 और विधि (एल. ए. और J-SC.F) विभाग के G.O.MS. No.68 दिनांकित 02.07.2013 के 6 को असंवैधानिक और अवैध बताया।

/

4. अपीलार्थी को वर्ष 2003 में एक त्वरित न्यायालय में एक तदर्थ जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।अपीलार्थी प्रासंगिक समय पर एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा था, और नियुक्ति तदर्थ जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए किए गए चयन के अनुसार की गई थी।फास्ट ट्रैक न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए उनके चयन के अनुसार, वह 25.10.2003 पर ड्यूटी में शामिल हुई।दूसरे प्रतिवादी-उच्च न्यायालय ने ए. पी. उच्च न्यायिक सेवा में जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों पर नियमित नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की।फास्ट ट्रैक अदालतों में नियुक्त तदर्थ जिला न्यायाधीशों के एक समूह ने 2004 के W.P.No.11273 में ऐसी अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की।उपरोक्त रिट याचिका में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए चुने गए सभी तदर्थ जिला न्यायाधीशों ने नियमित रिक्तियों के खिलाफ अवशोषण के लिए अनुरोध किया। रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, तदर्थ जिला न्यायाधीशों द्वारा 2004 की एक विशेष अनुमति याचिका (सी) No.17338 दायर की गई थी।अनुमति देते समय, इस न्यायालय ने 2005 की सिविल अपील No.1276 में पारित दिनांक 09.03.2006 के अंतरिम आदेश द्वारा कहा है कि नियमित चयन में की जाने वाली कोई भी नियुक्ति विषय होगी।

/

/

/

/

/

[2019] 10 एस सी आर।

सिविल अपील के परिणाम के लिए।इसके बाद, उपरोक्त दीवानी अपील का निपटान मामलों के एक समूह के साथ किया गया, जिन पर निर्णय लिया गया था

19.04.2012 जिसे बृज मोहन लाल (2) बनाम भारत संघ के रूप में सूचित किया गया है।

& ओआरएस। 1.जिला और सत्र न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए जारी की गई अधिसूचना की वैधता और फास्ट ट्रैक न्यायालय ों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किए गए तदर्थ जिला न्यायाधीशों द्वारा किए गए समावेशन के दावे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 175 अंतर्गत कहा हैः

/

“175. आंध्र प्रदेश राज्य के याचिकाकर्ताओं ने भी इसी तरह की राहत के लिए अनुरोध किया है जिसमें दावा किया गया है कि नियमित संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए जारी किए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया जाना चाहिए और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इसके बजाय याचिकाकर्ताओं को उन रिक्तियों के खिलाफ अवशोषित किया जाना चाहिए। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम इन प्रस्तुतियों में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। "

/

5. उपरोक्त निर्णय में, नियमित संवर्ग में अवशोषण के उनके दावे पर विचार करते हुए, अवशोषण की राहत देने से इनकार करते हुए कुछ निर्देश जारी किए गए थे जैसा कि अनुच्छेद 207.9 में निहित है।उपरोक्त पैराग्राफ अंतर्गत जारी किए गए निर्देश इस प्रकार हैंः

/

“ 207.9.एफ. टी. सी. योजना के अंतर्गत एफ. टी. सी. की अध्यक्षता करने के लिए बार से न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति केवल निम्नलिखित तरीके से संबंधित राज्यों की उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग में नियुक्त होने के हकदार होंगेः

/

(क) एफ. टी. सी. में सीधी भर्ती करने वाले जो नियमितीकरण का विकल्प चुनते हैं, वे अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में समावेशन के लिए अपनी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली एक लिखित परीक्षा देंगे।(ख) इसके बाद, उन्हें एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।

/

/

(ग) लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक और साक्षात्कार के लिए 100 अंक होंगे।योग्यता अंक सामान्य उम्मीदवारों के लिए कुल 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत होंगे।परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

1 (2012) 6 एससीसी 502 ए

/

उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए राज्यों द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक नियमों के अनुसार।

(घ) प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति एफ. टी. सी. में सेवा के प्रति वर्ष एक अंक का हकदार होगा, जो साक्षात्कार के अंकों का हिस्सा होगा।

/

(ई) यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षा और साक्षात्कार संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाना चाहिए कि इन सभी आवेदकों ने एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में कई वर्षों में काम किया है और विधि के अनुसार न्याय देकर देश की सेवा की है।इस प्रकार, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मॉड्यूल को इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विरचित किया जाना चाहिए।

/

(च) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और पूर्वनिर्धारित समेकित प्रतिशत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को राज्य के नियमित संवर्ग में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

/

(छ) यदि, किसी भी कारण से, नियमित संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो हम राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे चयनित उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसी अतिरिक्त रिक्तियां सृजित करें जो आवश्यक हों।

/

(ज) सभी वर्तमान और/या पूर्व एफ. टी. सी. न्यायाधीश जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया था और जो नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार देने के इच्छुक हैं, उन्हें आयु में छूट दी जाएगी।आवेदक की आयु निर्धारित आयु से अधिक होने के आधार पर कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। "6. मामले में निर्णय में जारी निर्देशों के अनुपालन में

/

बृज मोहन लाल (2) बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर), जैसा कि संदर्भित है।

ऊपर, दूसरे प्रतिवादी-उच्च न्यायालय ने कार्यशील/पूर्व तदर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला न्यायाधीशों से नियमित संवर्ग में जिला न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना दिनांक 13.08.2012 जारी की है।उपरोक्त अधिसूचना का जवाब देने वाले सभी अपीलार्थियों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा विधि (एल. ए. और J-SC.F) विभाग द्वारा जारी G.O.MS. No.68 दिनांक 02.07.2013 के माध्यम से नियमित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) के पदों पर की गई थी।उअंतर्गत ोक्त आदेश के पैराग्राफ 4,5 और 6 को नीचे पढ़ा गया हैः

/

/

602

/

[2019] 10 एस सी आर।

“4. ऊपर आदेशित नियुक्तियाँ संबंधित अधिकारियों के कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी।

5. अधिकारियों की परिवीक्षा ए. पी. राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 9 द्वारा शासित होगी और वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कर्तव्य में शामिल होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

/

6. जिला न्यायाधीशों की श्रेणी में सीधी भर्ती के साथ-साथ स्थानांतरण द्वारा भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संलग्न अनुसूची ए में निर्धारित रोस्टर के अनुसार तय की जाएगी।” अपीलार्थी ने ऐसी नियुक्ति का लाभ उठाया और ड्यूटी में शामिल होने की तारीख से दो साल की परिवीक्षा पूरी की।अपनी नियुक्ति के लगभग चार साल बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका आक्षेपित की है, जिसमें अधिसूचना के अनुच्छेद 5 और 6 पर सवाल उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ

जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उनकी वरिष्ठता के दावे को खारिज कर दिया गया है।आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलार्थी ने शर्तों के अधीन नियुक्ति को बहुत आसानी से लिया और परिवीक्षा के सफल समापन की घोषणा प्राप्त करने के बाद और न्यायपालिका में स्थान सुनिश्चित करने के बाद, उसी सरकारी आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।इसके अलावा, अपीलार्थी और इसी तरह रखे गए व्यक्तियों के दावे की अस्वीकृति और जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में चयन के लिए दिनांकित अधिसूचना को उनकी चुनौती पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी है कि तदर्थ जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों को देखते हुए, अपीलार्थी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं है।

/

/

/

/

7. हमने कुम को सुना है। सी. यामिनी, 2017 के एस. एल. पी. (सी) Nos.20990 और 2018 के 12535 से उत्पन्न नागरिक अपीलों में व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी; श्री आर. वेंकटरमानी, 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.13046 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील; श्री श्रीधर पोटाराजू, 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.28302 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील; और तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में तत्कालीन उच्च न्यायालय की ओर से पेश होने वाली विद्वान वकील सुश्री उत्तरा बब्बर।8. कुम। सी. यामिनी, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले अपीलार्थी ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि जब अपीलार्थी को उसी पद पर नियुक्त किया गया था

/

/

603

कुम सी. यामिनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

वर्ष 2003 में जिला न्यायाधीश की नियमित नियुक्तियों पर लागू प्रक्रिया का पालन करते हुए और जब अपीलार्थी का चयन किया गया और 02.07.2013 पर जारी अधिसूचना के अनुसार नियुक्त किया गया, तो वर्ष 2003 में नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में उसकी वरिष्ठता से इनकार करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।उन्होंने रुद्र कुमार सैन

और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है।भारत संघ और अन्य। 2.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमानी ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए

/

बृज मोहन लाल **(1)** बनाम भारत संघ और अन्य का मामला। **3,** प्रस्तुत किया है

कि, जब अपीलार्थियों को नियमित जिला न्यायाधीशों की प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया गया था, तो प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उन्हें वरिष्ठता से वंचित करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी निर्णय पर भरोसा किया

/

देबब्रत दास और अन्न बनाम के मामले में इस न्यायालय का।जतिन्द्र प्रसाद

दास और ओआरएस। **4** और बृज मोहन लाल के मामले में भी निर्णय **(2)**

v. भारत संघ और अन्य (ऊपर)।

9. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री उत्तरा बब्बर ने प्रस्तुत किया है कि तदर्थ जिला न्यायाधीशों के विरचित में अपीलार्थियों की नियुक्ति केवल तदर्थ न्यायाधीशों की भर्ती के लिए बनाए गए विशेष नियमों के अंतर्गत फास्ट ट्रैक न्यायालय ों की अध्यक्षता करने के लिए थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हीं नियमों में, यह स्पष्ट किया गया है कि नियमित रिक्तियों के खिलाफ उनका कोई दावा नहीं है।इसके अलावा यह तर्क दिया जाता है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा अवशोषण के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया जाता है और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, तो अपीलार्थियों के लिए प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करना खुला नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत देने की स्थिति में प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकार प्रतिवादी भी नहीं बनाया जाता है।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इसी तरह के मुद्दे यानी मूल पदों के खिलाफ नियुक्त व्यक्तियों पर वरिष्ठता के दावे पर विचार किया जाता है और खारिज कर दिया जाता है

/

/

/

इस न्यायालय द्वारा वी. वेंकट प्रसाद और अन्य बनाम के मामले में।उच्च न्यायालय

आंध्र प्रदेश और अन्य। 5.यह प्रस्तुत किया जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशेष नियम, 2001 के उपरोक्त निर्णय नियम 2,6 और 7 पर विचार किया गया था।उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि

/

2 (2000) 8 एस. सी. सी. 25 3 (2002) 5 एस. सी. सी. 1 4 (2013) 3 एस. सी. सी. 658 5 (2016) 11 एस. सी. सी. 656

/

फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संबंध में नियुक्तियां तदर्थ प्रकृति की होती हैं और ऐसी नियुक्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

10. 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.13046 और अन्य वकीलों से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले अपीलार्थी और विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, हमने लिखित प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

/

11. जब 11 वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों में से आंध्र प्रदेश राज्य में त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो ऐसे न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्तियां करने के लिए, नियमों का एक अलग समूह, अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशेष नियम, 2001 जारी किए गए थे।उक्त नियम अनुच्छेद 233 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरचित गए थे।अपीलार्थी को शुरू में उपरोक्त नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था।उक्त नियमों का नियम 1 सेवा के गठन से संबंधित है और नियम 7 नियुक्ति के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है।नियम 7 (1) (बी) में कहा गया है कि नियम 2 (आई) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को विशेष नियमों के नियम 2 के अंतर्गत आने वाले स्थायी संवर्ग का सदस्य नहीं माना जाएगा और वह किसी अन्य नियुक्ति के लिए किसी भी तरजीही अधिकार का हकदार नहीं है। उक्त नियम केवल त्वरित न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए तदर्थ पदों पर जिला न्यायाधीशों का चयन करने के उद्देश्य से विरचित गए हैं।फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना शुरू में 11 वें वित्त आयोग में दिए गए अनुदान के अनुसार पांच साल की सीमित अवधि के लिए की गई थी।ये सभी चयन जो तदर्थ आधार पर किए गए थे, ए. पी. उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में किसी भी

पद के लिए नहीं हैं।वर्ष 2003 में अपीलार्थी की नियुक्ति के बाद, जब दूसरे प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीशों की नियमित रिक्तियों में पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की है, तो कुछ त्वरित न्यायालय के न्यायाधीशों ने नियमित रिक्तियों में समावेशन का दावा करके अधिसूचना पर सवाल उठाया है।अपीलार्थियों की ऐसी याचिका को इस न्यायालय द्वारा बृज मोहन लाल (2) (उपर्युक्त) पैरा 175 में मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट शब्दों में खारिज और पुष्टि की गई थी।जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2004 में जारी अधिसूचना को उनकी चुनौती भी खारिज कर दी गई है।

/

/

/

/

/

12. उनके समावेशन के दावे को खारिज करते हुए और नियमित संवर्ग पदों में भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए, बृज मोहन लाल (2) (ऊपर) में फास्ट ट्रैक कोर्ट ए में नियुक्त तदर्थ न्यायाधीशों के दावों पर विचार करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे।

/

नियमित संवर्ग पदों पर।केवल निर्देशों का पालन करते हुए, दूसरे प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीशों और अपीलार्थियों के नियमित संवर्ग में नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की है और अन्य ने इस तरह की अधिसूचना का जवाब दिया और उनमें से कुल 12 को नियमित रिक्तियों के लिए चुना गया।विधि (एल. ए. और J-SC.F) विभाग द्वारा जारी दिनांक <आई. डी. 2. No.68 में नियुक्ति आदेश में, उन्हें दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था और सफल परिवीक्षा की घोषणा के बाद और नियुक्ति के लगभग चार साल बाद, वर्तमान दावा तदर्थ जिला न्यायाधीशों के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करता है।

/

13. अपीलार्थियों का यह दावा कि उन्हें नियमित संवर्ग में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया का पालन करते हुए तदर्थ जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था, त्वरित अदालतों के लिए जिला न्यायाधीशों के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से जिला

न्यायाधीशों के स्थायी संवर्ग में उनकी वरिष्ठता पर विचार करने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।11 वीं वित्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए की जाने वाली नियुक्तियां ए. पी. उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायाधीशों के नियमित रिक्त पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों की तुलना में पूरी तरह से अलग और विशिष्ट हैं।यदि किसी व्यक्ति को संवर्ग में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर किसी भी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है।11 वें वित्त आयोग के अनुदान से शुरू में पांच साल के लिए स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों को कुछ राज्यों में राज्यों की सहायता से इस अवधि के बाद भी जारी रखा गया और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे फास्ट ट्रैक अदालतों को बंद कर दिया गया। केवल इस आधार पर कि उनका चयन नियमित चयन के समान प्रक्रिया का पालन करके किया गया था, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता प्रदान करने के उनके दावे पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।जब जिला न्यायाधीशों के रिक्त नियमित पदों पर चयन करने के लिए वर्ष 2004 में जारी अधिसूचना को नियमित करने/अवशोषण और चुनौती देने के उनके दावे को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, तो हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के पास प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का कोई आधार नहीं है।किसी भी स्थिति में, नियुक्ति का लाभ लेने के बाद वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के जवाब में आवेदन करने के बाद, अपीलकर्ताओं के लिए आदेश में लगाई गई शर्तों पर प्रश्न उठाने के लिए खुला नहीं है जो नियमों के अनुरूप है।निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को तदर्थ जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था

/

/

/

/

/

/

606

/

[2019] 10 एस सी आर।

केवल फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अध्यक्षता करें।प्रारंभ में जब उन्हें किसी पद या पदों की श्रेणी में नियुक्त नहीं किया गया था, जो ऐसी श्रेणी में संवर्ग संख्या का हिस्सा है, तो अपीलार्थी संवर्ग संख्या का हिस्सा बनने वाले पदों की श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों पर किसी भी

वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है।अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने के लिए एक और आधार है।यद्यपि अपीलार्थी उन व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा करता है जिन्हें नियमित रूप से रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है जो संवर्ग संख्या का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया जाता है।इस आधार पर भी, अपीलार्थियों का दावा अस्वीकृत होने योग्य है।

/

14. हमने अपीलार्थी पक्ष द्वारा दिए गए निर्णय का अध्ययन किया है।

व्यक्तिगत रूप से, रुद्र कुमार सैन और अन्य के मामले में।भारत संघ

/

& ओआरएस. (ऊपर)।उपरोक्त मामले में, मुद्दा प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता के दावे से संबंधित है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेंकटरमानी ने भी इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है

बृज मोहन लाल (1) बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) का मामला; देबब्रत दास और अन्न के मामले में।जतिंद्र प्रसाद दास और अन्य (ऊपर); वी. वेंकट प्रसाद और अन्य बनाम के मामले में। का उच्च न्यायालय

/

आंध्र प्रदेश और अन्य (ऊपर) और बृज मोहन लाल (2) बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) के मामले में।हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वेंकटरमानी और पक्ष द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों को व्यक्तिगत रूप से देखा है।वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उपरोक्त मामलों में तय किया गया अनुपात इन मामलों में उनके दावे के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।वरिष्ठता का दावा कई कारकों पर निर्भर करेगा, नियुक्ति की प्रकृति, नियम जिनके अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं और कब नियुक्तियां की जाती हैं, कैडर पदों पर ऐसी नियुक्तियां थीं या नहीं आदि। जब अपीलार्थियों को ए. पी. न्यायिक सेवा में किसी भी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, तो अपीलार्थी त्वरित अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं।हमारा विचार है कि अपीलार्थियों द्वारा दिए गए उक्त निर्णयों में तय किया गया अनुपात उनके मामले के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

/

/

15. दूसरी ओर**,** वी**.** वेंकट के मामले में निर्णय

प्रसाद और ओआरएस. वी.आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य (ऊपर),

/

इस न्यायालय ने, स्पष्ट शब्दों में, तदर्थ नियुक्तियों के लिए ए. पी. राज्य उच्च न्यायिक सेवा विशेष नियम, 2001 पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय ों के संबंध में ऐसी नियुक्तियां तदर्थ प्रकृति की हैं और ऐसी नियुक्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।इस न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण ए

/

607

कुम सी. यामिनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

उत्तरदाताओं के मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है।उक्त मामले का पैराग्राफ 25 जो इन मामलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, अंतर्गत दिया गया है:“25. उपरोक्त दो प्राधिकरणों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संबंध में नियुक्तियां तदर्थ प्रकृति की होती हैं और ऐसी नियुक्ति के आधार पर नियमित पदोन्नति के लिए निचली न्यायपालिका से तदर्थ आधार पर पदोन्नत/तैनात ऐसी भर्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के अंतर्गत की गई थी। "

/

16. 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.28302 से उत्पन्न दीवानी अपील में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थियों को कम से कम पेंशन और अन्य लाभों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को गिनने का लाभ दिया जाना चाहिए।अपने दावे के समर्थन में, विद्वान वकील ने महेश में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया

/

चंद्र वर्मा बनाम झारखंड राज्य और अन्य। **6** जिसमें यह न्यायालय

/

उसी मुद्दे पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई सेवा को उनकी सेवा की अवधि के लिए, उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जाना है।17. हमने उपरोक्त निर्णय का अवलोकन किया है और हम इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए विचार से सहमत हैं।परिणामस्वरूप, फास्ट ट्रैक न्यायालय जिला न्यायाधीशों और अन्य राहतों के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता प्रदान करने के उनके दावे को अस्वीकार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं और अन्य सभी जिन्हें समान रूप से रखा गया है, उन्हें

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के रूप में प्रदान की गई उनकी सेवा को गिनने का लाभ दिया जाना चाहिए।उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ दीवानी अपीलों का निपटान बिना किसी आदेश के किया जाता है।

/

/

/

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

6 (2018) 7 एससीसी 270

/